रजि. क्रमांक –36/सीकर/1997–98

श्री शास्त्री बाल विद्या मन्दिर समिति श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक -- 30.01.2008

आज दिनांक 30.01.2008 को हमारी संस्था श्री शास्त्री विद्या मन्दिर समिति श्रीमाधोपुर (सीकर) पंजीयन क्रमांक –36/सीकर/1997–98 की आम सभा का आयोजन श्री शास्त्री बाल विद्या मन्दिर समिति श्रीमाधोपुर (सीकर) की अध्यक्षता में किया गया है। इस सभा में संविधान की नियमावली संख्या 2 व 3 में आंशिक संशोधन करके कार्यक्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) से बढ़ाकर सम्पूर्ण राजस्थान कर दिया गया है।

रजिस्ट्रार संस्थाएँ

संघ का नया नियम

क्रम संख्या	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	संशोधित नया नियम
1.	2	कार्य क्षेत्र श्रीमाधोपुर	कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान
2.	3	उद्देश्य सूची– प्रथम	उद्देश्य सूची– द्वितीय

प्रमाणित किया जाता है कि [illegible] गयी है।

रजिस्ट्रार संस्थाएं, सीकर

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
श्री शास्त्री बाल विद्या मन्दिर समिति	श्री शास्त्री बाल विद्या मन्दिर समिति	श्री शास्त्री बाल विद्या मन्दिर समिति
बाईपास रोड, श्रीमाधोपुर (सीकर)	बाईपास रोड, श्रीमाधोपुर (सीकर)	बाईपास रोड, श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्री शास्त्री बाल विद्या मन्दिर समिति श्रीमाधोपुर	श्री शास्त्री बाल विद्या मन्दिर समिति श्रीमाधोपुर	श्री शास्त्री बाल विद्या मन्दिर समिति श्रीमाधोपुर

रजि. क्रमांक –36 / सीकर / 1997–98

श्री शास्त्री बाल विद्या मन्दिर समिति श्रीमाधोपुर (सीकर)

संघ विधान का संशोधित नया नियम

1. शैक्षिक व सामाजिक उन्नयन के लिए शोध केन्द्रों, शिक्षण संस्थाओं, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों आदि की स्थापना करना।
2. शैक्षिक व सामाजिक क्षेत्र के विषयों पर सेमीनार, संगोष्ठियों, व्याख्यान, परिचर्चाओं आदि का आयोजन करना।
3. अध्ययनरत छात्रों के गुण विकास में मदद करने उनकी मौलिक प्रतिभा को सृजनात्मक रूप प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
4. बालक–बालिकाओं, महिलाओं व प्रौढों के शैक्षणिक व शारीरिक विकास के लिए बहुउद्देशीय शिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
5. बालक–बालिकाओं के बौद्धिक विकास हेतु पत्रिका, अखबार, पुस्तकों आदि का प्रकाशन, कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठियों, गद्य–पद्य समीक्षा साहित्य परिचर्चाओं आदि का आयोजन करना।
6. सामाजिक उत्थान के लिए पुस्तकालय, वाचनालय एवं मनोरंजन केन्द्र स्थापित करना।
7. शैक्षणिक व सामाजिक विकास हेतु पत्रिका, अखबार, पुस्तकों आदि का प्रकाशन, कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठियों, गद्य–पद्य समीक्षा साहित्य परिचर्चाओं आदि का आयोजन करना।
8. अनाथ, निराश्रित, अपंग, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग एवं विकलांगों के लिए विशेष सेवा–प्रकल्प हाथ में लेना।
9. प्रमुख शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं के लिए सर्वेक्षण कराना व उनके निदान के लिए आवश्यक सुझावों का प्रतिपादन करना।
10. गरीब व निराश्रित लोगों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा व सहायता उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल, नर्सिंग होम, मातृ–शिशु कल्याण केन्द्र, क्लिनिक, मोबाइल चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करवाना एवं इस तरह के प्रकल्पों को वित्तीय सहायता संसाधन उपलब्ध करवाना।
11. स्वास्थ्य शिक्षा, शिशु बाल स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य एड्स, एच.आई.वी., टी.बी., परिवार नियोजन स्वास्थ्य जागरूकता, सामान्य स्वास्थ्य व्यावसायिक और पर्यावरण स्वास्थ्य, समुदाय स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग आदि क्षेत्रों में कार्य करना एवं इस क्षेत्र में कार्य करवाने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना।
12. प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा, अकाल, अग्निकाण्ड, दुर्घटनायें एवं जान–माल का नुकसान करने वाली किसी भी घटनाओं के पीड़ितों को सहायता एवं सेवा उपलब्ध करवाना एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना।
13. पर्यावरण–पारिस्थितिकी, सामाजिक वानिकी, संयुक्त वन प्रबन्ध, पर्यावरण–प्रदूषण रोकथाम, पशु संरक्षण एवं जानवरों पर अत्याचार रोकना तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना।
14. ग्रामीण विकास एवं कृषि के क्षेत्र में बंजर भूमि विकास एवं प्रबन्धन, उच्च तकनीकी कृषि करना, लघुऋण उपलब्ध करवाना, भूमि अधिकार भूमि सुधार आर्थिक सशक्तिकरण, स्वरोजगार कम लागत पर ग्रामीण आवास कृषि–मार्केटिंग सिंचाई आदि के बारे में प्रशिक्षण का कार्य करना एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं व व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाना।
15. अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा जागरूकता साक्षरता, बच्चों के सर्वांगीण विकास मनोवैज्ञानिक तरीके से आदि क्षेत्र में कार्य करना।
16. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के विभागीय एवं मन्त्रालयों, जिला प्रशासन, व्यावसायिक घरानों, देशी व विदेशी गैर सरकारी संस्थाओं से आर्थिक सहायता व अन्य सहयोग प्राप्त कर विभिन्न परियोजनाओं का संचालन करना तथा उन संस्थाओं व व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, संसाधन व सेवाएँ उपलब्ध करवाना जो मानवता की सेवा व विकास के लिए जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्यरत है।
17. बच्चों के ठोस विकास के लिए पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा देने के उद्देश्य से मान्यता लेकर विद्यालय, महाविद्यालय प्रारम्भ करना, स्थापित करना, चलाना, अधिकार में लेना या प्रबन्धन करना और रख–रखाव करना।
18. उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि के प्रसार एवं उन्नयन के लिए महाविद्यालय, अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, मेडिकल महाविद्यालय सहित नर्सिंग फार्मेसी, पशुपालन आदि के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।
19. टंकण, शीघ्रलिपि, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, शिल्प, संगीत, पेंटिंग, मॉडलिंग, नृत्य, योग शारीरिक शिक्षा और वृत्तिका विषयों में प्रशिक्षण संस्थानों का इन्तजाम करना और प्रबन्ध करना।
20. हिन्दी भाषा की प्रोन्नति के लिए विभिन्न कार्यक्रम हाथ में लेना। इसके अन्तर्गत राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर छात्र–छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना, हिन्दी में लिखे संदर्भ ग्रन्थ ज्ञान विज्ञान, भाषा विज्ञान, साहित्य, आलोचना, समाज, संस्कृति तथा अन्य किसी भाषा से हिन्दी में अनुवादित पुस्तकों का प्रकाशन एव रखरखाव करना कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन सम्मान समारोह आदि सहित, वे सभी कार्यक्रम हाथ में, जो हिन्दी भाषा के उत्थान, उन्नयन व प्रचार–प्रसार के लिए उपयोगी हो।

21. छात्रों और समिति के अन्य सदस्यों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, सहायता, परिवहन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, वाचनालय, छात्रावास, खेल मैदान, तरणताल, सम्भव सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।

22. संस्थान के कार्य, लक्ष्यों और उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित कर्मचार, कर्मकार, विधि विशेषज्ञों, प्रबन्धकों एवं एजेन्टों को काम में लगाना नियोजित करना या किराये पर लेना और उनकी मजदूरी, वेतन, अध्ययनवृत्ति या फीस का भुगतान करना।

23. संस्थान के कार्य, लक्ष्यों और उद्श्यों को अग्रसर करने के लिए समुचित कर्मचार, कर्मकार, विधि विशेषज्ञों, प्रबंधकों एवं एजेंटों को काम में लगाना, नियोजित करना या किराये पर लेना और उनकी मजदूरी, वेतन, अध्ययनवृति या फीस का भुगतान करना ।

24. विभिन्न प्रकार के बाल कल्याण एवं कियाकलापों का इंतजाम करना और संचलान करना।

25. ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ रोजगार सृजन की दृषि से जनता के आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज्य की भावना पैदा करने हेतु, रोजगार प्रदान करने हेतु विविध ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना तथा इसके लिए खादी केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं वितीय संस्थानों, खादी ग्रामोद्योग आयोग, अन्य गैर सरकारी संस्थानों , निगमित एवं गैर निगमित वितीय संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठनों, व्यक्तियों आदि से ऋण, अनुदान, चंदा, उपहार अथवा अन्य सहायता राशि, रोकड़ व अन्य किसी रूप से प्राप्त करना।

26. संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभन्न इकाइया/परियोजनाओं के नाम से संस्थान के उदेश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु, भूमि या भवन का कय अर्जन करना तथा उस पर विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान,ग्रामीण निर्मित केन्द्र पुस्तकालय, बाल विकास केन्द्र, पर्यावरण केन्द्र आदि सहित संस्थान के उदेश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक भवन निर्माण करना।

27. संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाइयों / परियोजनाओं के उद्श्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक और सुविधाजनक , संपूर्ण चल–अचल सम्पति, भवन अथवा उसके किसी भाग को संस्थित (खड़ा) निर्माण करना , परिवर्तित या परिवर्द्धित करना, रख – रखाव , विकय करना, हटाना या तोड़ना , पट्टे पर देना, बंधक अथवा रहन करना, अंतरित करना, सुधार करना, विकसित करना, उसका प्रबंधन या नियंत्रण करना।

28. संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाइयों/परियोजनाओं द्वारा अर्जित या कय की गई चल एवं अचल सम्पतियों से निहित वास्तविक एवं व्यक्ति स्वत्वधिकरों को अथवा बॉन्ड्स, प्रतिभूतियों व जमा राशियों में निहित हितों को, जो कि संस्थान से सरोकार रखते हैं, को संस्थान के उद्श्यों की पूर्ति के लिए, किसी भी केन्द्र व राज्य सरकार के विभाग, राष्ट्रीय व राज्य वितीय संस्थान, हुडको, रिको, बैंक अथवा निजि क्षेत्र की निगमित संस्थानों या व्यक्तियों के पक्ष में बंधक / [illegible] ऋण सुविधा व आर्थिक सहायता प्राप्त करना ।

29. संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाइयों/परियोजनाओं व अन्य प्रकल्पों की चल व अचल सम्पत्तियों व अन्य व्यवस्थाओं और सुविधाओं के लिए सरकारी व गैर सरकारी वितीय संस्थान एवं विभाग, अन्य संस्थाओं , संस्थान के सदस्यों, संस्थान से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षः जुडे अभिभावकों, विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं व्यक्तियों से चन्दा, अनुदान, उपहार, ऋण अथवा अन्य सहायता राशि रोकड़ व अन्य किसी रूप में प्राप्त करना।

30. छात्रों और समिति के अन्य सदस्यों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सहायता, परिवहन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, वाचनालय, छात्रावास, खेल मैदान, तरणताल और संभव सुविधायें उपलब्ध करवाना।

31. संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित्त विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाइयों/परियोजनाओं की अब तक की अर्जित और अब से बाद की सम्पूर्ण आय अर्जन/ अचल सम्पत्तियों का स्वामित्व व एकाधिकार संस्थान का ही रहेगा। इन सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को क्रय–विक्रय अथवा ऋण अथवा आर्थिक सहायता हेतु बंधक/ रहन रखने एवं तत्सम्बन्धी दस्तावेजों के निष्पादन संबंधी अधिकार संस्थान द्वारा कार्यकारिणी की सभा में अधिकृत व्यक्ति में ही निहित होंगे, न कि प्रत्येक सदस्य में।

32. संस्थानों अथवा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक व अन्य इकाइयों/परियोजनाओं की सम्पूर्ण आय, अर्जन, चल/अचल कम्पनियाँ केवल संस्थान के विधान में दिये गये लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति एवं प्रोन्नति में प्रयुक्त की जायेगी और लगाई जायेगी और उसके/उनके किसी भी भाग का, संस्थान के वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों या किसी एक या एकाधिक वर्तमान या भूतपूर्व सदस्यों के माध्यम से मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभांश, बोनस, या किसी भी रीति से भुगतान नहीं किया जायेगा। संस्थान के किसी भी सदस्यता का संस्थान के किसी भी चल या अचल सम्पत्ति पर कोई व्यक्तिगत अधिकार/हक नहीं रहेगा अथवा संस्थान की सदस्यता के कारण कोई लाभ नहीं कमायेगा।

33. सुसांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा की सुव्यवस्था कर बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित करना।

34. बच्चों में देश प्रेम, समाज एवं मातृ भूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना एवं वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना उत्पन्न करना।

35. बच्चों में धर्म, जाति, भाषा और साम्प्रदायिकता से ऊपर उठने की भावना उत्पन्न करना।

36. अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास का संचालन करना।

प्रमाणित किया जाता है कि दस्तावेज संस्था की पत्रावली में सम्मिलित है।

रजिस्ट्रार संस्थाएं, सीकर

अध्यक्ष
श्री शास्त्री बाल विद्या मन्दिर समिति
बाईपास रोड, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सचिव
श्री शास्त्री बाल विद्या मन्दिर समिति
बाईपास रोड, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कोषाध्यक्ष
श्री शास्त्री बाल विद्या मन्दिर समिति
बाईपास रोड, श्रीमाधोपुर (सीकर)